न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र)

क / 120 / रीडर / 2015 अलीराजपुर दिनांक 7/2/2015

प्रकरण कमांक 13 /बी–121 / 2014–15

: आदेश :

(आज दिनांक 7 फरवरी 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया । दिनांक 12.12.2014 को श्रीमति रेलमा पति हाबुसिंह जाति भीलाला उम्र 27 वर्ष निवासी पिथमपुर तहसील अलीराजपुर की कृषि कार्य (थ्रेशर मशीन के चपेट मे आने से) करते समय मृत्यु हो गई है । मृतक के वारिशान में उसके पति हाबु पिता सुमारिया जाति भीलाला निवासी पिथमपुर के नाम से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत अनुसार मृतक के वारिशान उसके पति हाबु पिता सुमारिया जाति भीलाला निवासी पिथमपुर को **मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत** कण्डिका– 2 (1) के तहत् आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है तथा म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम 7 एवं संशोधित आदेश कमांक /बोर्ड / योजना / गै. त. / मृ.कृ.जी.क.यो. / 2171 / भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुदान राशि पीडित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 121 / रीडर / 2015 अलीराजपुर दिनांक 7/2/2015

प्रतिलिपिः–

1– उप संचालक म.प्र कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित है ।

2– प्रभारी अधिकारी (वित्त–2 / राहत शाखा) जिला अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

4– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।

5– सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर

7– तहसीलदार अलीराजपुर ।

8– सचिव कृषि उपज मंडी अलीराजपुर ।

9– संबंधित (आवेदक) पति हाबु पिता सुमारिया जाति भीलाला निवासी पिथमपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर